योजना क्रमांक 97 भाग 4 स्लाईस नं.2 के 15 आवासीय उपयोग के भूखंड को फ्री होल्ड पर व्ययन हेतु न्यूनतम दर से अधिक की निविदा आमंत्रण

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 97 भाग 4 स्लाईस नं.2 के **15** आवासीय उपयोग के भूखंड को क्रय करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की प्राधिकरण भवन शाखा तथा आय.सी.आय.सी.आय. बैंक इन्दौर की मालव परिसर शाखा से (बैंक कार्यालयीन समय में) ₹590 (जी.एस.टी. सहित) जमा कर फार्म ले सकते हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किए फॉर्म के साथ ₹590 (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट पृथक से संलग्न कर निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगी।

अ. क्र.	भूखण्ड क्र.	क्षेत्रफल (वर्गमी)	आरक्षित वर्ग	न्यूनतम दर (₹प्रति वर्गमीटर)	निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी)
1	2	3	4	5	6
1	78 कार्नर, 88 कार्नर	67.50	सामान्य	₹38,500	₹2.50 लाख
2	69, 70, 71,72,75, 76 81,82, 83, 84, 85, 87	67.50	सामान्य	₹35,000	₹2.50 लाख
3	2	67.50	सामान्य	₹30,000	₹2.50 लाख

फ्री होल्ड भूखण्ड | **50% राशि जमा करने पर भूखंड का कब्जा**

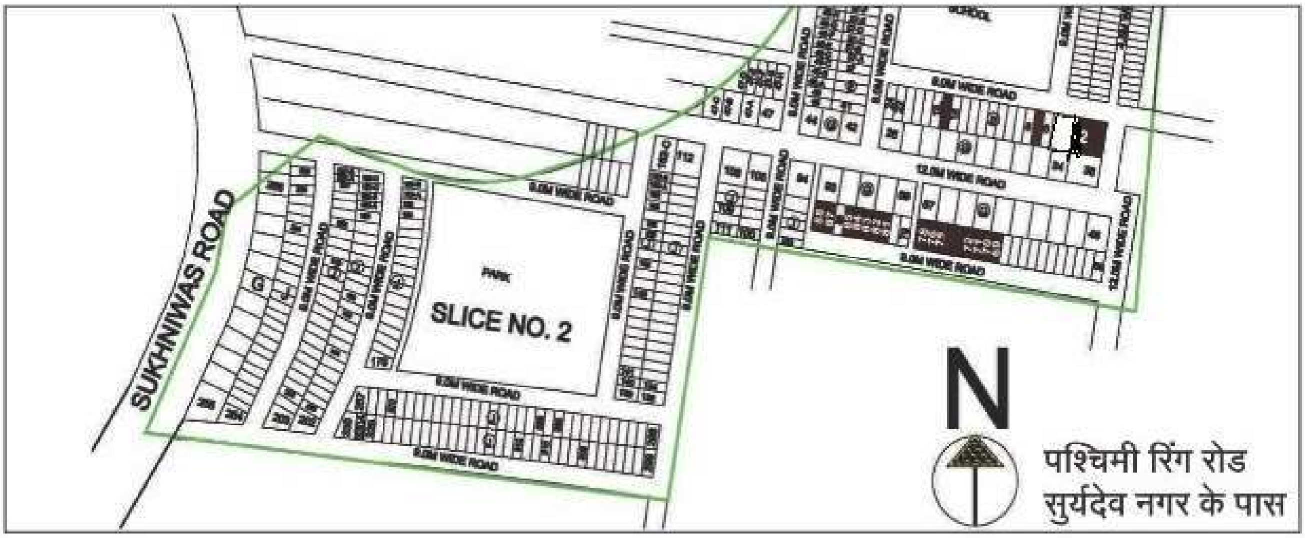

निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि	निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि
29.10.2020 से **27.11.2020** तक	**28.11.2020** समय सायं 4.00 बजे तक	**28.11.2020** समय सायं 4.15 बजे

1. सम्पति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि आरक्षण जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में जमा कराना होगी तथा शेष 75 प्रतिशत प्रीमियम की राशि 2 वर्ष की 8 त्रैमासिक किश्तों में **10.00**प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ जमा करने की सुविधा रहेगी।
2. निविदा प्रस्ततकर्त्ता को तालिका के क्रमांक 6 में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि का डी.डी./पे-आर्डर भी निविदा के साथ जमा करनी होगी।
3. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिए कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक :185 दिनांक : 23.10.2020

इन्दौर विकास प्राधिकरण

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : **श्री ठाकुरसिंह बघेल मो: 98936-99175**
राजेश शर्मा (संपदा अधिकारी वर्ग 2) **मो.: 98936-22211 राजेश उपाध्याय** (मार्केटिंग सेल)
मो.: 98936 99113 अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org **और** ida app **भी देखें।**

DOWNLOADED FOR idaindore.org

ida

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

विज्ञापन क्रमांक :185 दिनांक : 23.10.2020

योजना क्रमांक 97 भाग–4 में आवासीय उपयोग के 15 भूखण्डो को पूर्ण स्वामित्व अधिकार (फ्री–होल्ड) पर व्ययन हेतु निविदा प्रपत्र

"जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है"

DOWNLOADED FOR idaindore.org

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक जानकारी

संपत्ति क्रमांक	
आरक्षण श्रेणी	

लिफाफा–ए में निम्नानुसार दस्तावेज रखें :

1— निविदा प्रपत्र का भाग एक : सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश (पृष्ठ क्रमांक **3** से **6**)

2— निविदा प्रपत्र का भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र (पृष्ठ क्रमांक **7** व **8**)

3— निविदा प्रपत्र का भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें (पृष्ठ क्रमांक **9** से **12**)

4— (अ) अर्नेस्ट मनी का डी.डी./ बैंकर्स चेक : क्रमांक.........................दिनांक..............................राशि..................................

(ब) यदि निविदा प्रपत्र डाउन–लोडेड है तो पृथक से डी.डी./बैंकर्स चेक : क्रमांक.........................दिनांक..............................राशि..................................

5— आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

6— निविदादाता यदि कंपनी/फर्म/संस्था हैं तो संबंधित समस्त दस्तावेज

7— निविदा प्रपत्र क्रय करने की बैंक की रसीद

8— अन्य कोई दस्तावेज हो जैसे–आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./पेनकार्ड की प्रति

टीप : उक्त लिफाफे में निविदा प्रपत्र का भाग–चार नहीं रखा जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर
निविदा दस्तावेज

विज्ञापन क्रमांक 185 **दिनांक 23.10.2020**

निविदा दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :

भाग एक : सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार : निविदा प्रपत्र

भाग—एक : सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात् पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 185 दिनांक 23.10.2020 के संदर्भ में भूखण्ड Plot के फ्री—होल्ड पर आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति उनके प्रस्ताव नीचे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक : निविदा तथा सम्पत्ति के आवंटन हेतु पात्रता

1. विज्ञापन में एक सम्पत्ति की निविदा की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता विज्ञापन की एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु निविदा लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक—पृथक निविदा प्रपत्र क्रय करने होंगे।
3. जो वैबसाईट से निविदा प्रपत्रों को डाऊनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए निविदाएं प्रस्तुत की जा रही है, निविदा दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पत्तियों के लिये पृथक—पृथक प्रपत्र के साथ निविदा प्रस्तुत की जाएंगी।
4. अवयस्क द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को गृहण नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. व्ययन नियम 2018 के नियम 30 अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसे, किसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति का आवंटन किया जा चुका हो, को इन नियमों के अधीन उसी विकास योजना में किसी अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित किसी अन्य संपत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।
6. निविदा प्रपत्र/निविदा दस्तावेज शुल्क गैर वापसी योग्य रहेगा।

दो : निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया

1. उनके लिए, जो प्राधिकरण/विज्ञापन में निर्धारित बैंकों से निविदा प्रपत्रों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण/निर्धारित बैंकों द्वारा तीन अलग—अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें
   लिफाफा ए—पात्रता संबंधी लिफाफा,
   लिफाफा बी— निविदा लिफाफा तथा
   तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किया हो तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बन्द किया जा सके तथा इन्हें **"लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा", "लिफाफा बी— निविदा लिफाफा"** तथा **आवरण लिफाफा** अंकित करे और प्रत्येक लिफाफे पर नाम, **विज्ञापन क्रमांक 185 व दिनांक 23.10.2020 तथा योजना क्रमांक 97 भाग—4 में आवासीय उपयोग** के अन्तर्गत भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा" लिखे तथा उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण को संबोधित किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

3. इच्छुक व्यक्तियों से **लिफाफा ए** तथा **लिफाफा बी** में, निम्न रूप से यथा विनिश्चित की गई जानकारी पूर्णता से प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बन्द करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी को आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद किया जाएगा।

तीनः निविदा की वैधता, निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण

1. निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगीं।

2. **निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को विज्ञापन में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष मे बैक ड्राफ्ट अथवा पे–आर्डर के रूप मे प्रस्तुत करनी होगी।** अन्य किसी भी रूप में (अर्नेस्टमनी) निविदा प्रतिभूति मान्य नही होगी ।

3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हों, निविदा लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।

4. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के भीतर बकाया रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में मिथ्या प्रस्तुतिकरण किया जाना पाया गया हो, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) समपहृत कर ली जाएगी।

चार : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख

लिफाफा ए–पात्रता लिफाफा

1. निविदा–प्रपत्र को प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किये जाने की दशा में निविदा दस्तावेज शुल्क (गैर वापसी योग्य) हेतु इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा यदि प्राधिकरण/ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बैंक से निविदा दस्तावेज क्रय किया गया हो तो निविदा दस्तावेज क्रय करने के लिए नगद भुगतान की मूल रसीद की प्रति ।
2. **निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) हेतु रूपये .... लाख का इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर।**
3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज।

अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु

ए) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ–पत्र जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, **(यदि लागू हो)** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

बी) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ–पत्र **(भाग–दो)**।

सी) जहां किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु निविदा को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

DOWNLOADED FOR idaindore.org

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेना अधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी

डी) निविदादाता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

ई) सम्पत्ति हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग–एक)** और सम्पत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन एवं शर्तें **(भाग–तीन)**

एफ) निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ ड्राईविंग लायसेंस की स्व–हस्ताक्षरित फोटो कॉपी।

जी) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए)

ब. किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/इकाई (सत्ता) हेतु

ए) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प।

बी) निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र **(भाग–दो)** के अनुसार शपथ–पत्र।
सी) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख / न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि)

डी) संपत्ति के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु अनुदेशो की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग–एक)** तथा संपत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते **(भाग–तीन)**

ई) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

4. आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजो, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार योग्य है। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार से किसी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह दस्तावेज के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।

5. **लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव/निविदा से संबंधित कोई जानकारी अंतर्विष्ट नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

6. **लिफाफा 'बी' में केवल निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र अंतर्विष्ट होगा । (भाग–चार)।**

DOWNLOADED FOR idaindore.org

पांचः निविदा प्रस्तुति की नियत तारिख तथा निविदा प्रपत्रों को खोलना

1. निविदाओं को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 104/105/106 में सम्पदा अधिकारी वर्ग–2 के समक्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा दिनांक को **सायं 4:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।**
2. निविदाओं को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 102/104/105/106 में सम्पदा अधिकारी वर्ग–2 के समक्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा दिनांक को **सायं 4:15 बजे खोला जाएगा।**
3. निविदा खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे को खोला जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
4. दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात, केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफों को उसी समय खोला जाएगा। ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जो निविदा लिफाफों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

छहः उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता की घोषणा

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित दर/मूल्य से नीचे की निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।
2. सामान्यतः, ऐसे उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा ।
3. प्रस्तुत की गई निविदा का अंतिम परिणाम निविदा लिफाफा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना–पटल के साथ–साथ प्राधिकरण की वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण को किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

सातः पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना एवं संपत्ति का भौतिक सत्यापन ।

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र–व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/वैबसाईट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करे। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नही होगी।

DOWNLOADED FOR idaindore.org

भाग—दो : शपथ—पत्र हेतु प्रपत्र

(सील बंद लिफाफे 'ए' : पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ—पत्र को रूपये 100/— के गैर—न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर सम्यक् नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ—पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, शपथकर्ता शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूं कि :

   मेरा नाम : ....

   पिता/पति का नाम : ....

   पता : ....

   व्यवसाय : ....

   आयु : ....

   वार्षिक आय : ....

2. यह कि मैं ————————————— (नाम) ——————————————————(निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, ————————————————— की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है **(ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)।**

3. यह कि मैं ———————————————— नाम ————————————————— (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ—पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूं **(ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)**

4. यह कि मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है **(ऐसे प्रकरण में लागू जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।**

5. यह कि निविदा प्रपत्र के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

6. यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को पूर्णतः समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

7. यह कि यदि निविदा के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्पश्चात् इस निविदा के अन्तर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति को भी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।

8. यह कि यह शपथ–पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् संपत्ति/भूखंड क्रमांक ——————— के आबंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है

दिनांक : ....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, ... पिता/पति श्री ....सत्यापित करता हूं/करती हूं, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात छिपाई नही गई है। यह सत्यापन आज दिनांक ———————————— को किया गया।

....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ–पत्र में शामिल न करें।
2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारुप में प्रस्तुत किया गया शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

भाग–तीनः सम्पत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Conditions for Allotment of Property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत की जाए)

एकः भुगतान की शर्तें

1. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण–पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल उद्धरित अधिमूल्य (प्रीमियम) की पूर्ण राशि अथवा प्रथम प्रारंभिक प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि (निविदा प्रतिभूति राशि/अर्नेस्ट मनी के समायोजन पश्चात) जमा करनी होगी।
2. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण–पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर रूपये 1000/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि एवं अनुबन्ध–पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
4. जहां सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उपरोक्त कंडिका 1 अनुसार भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध मे उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो व्ययन विनियम अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि में देय अधिमूल्य राशि 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगी।
5. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर निविदा प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने मे असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत कर सकेगा।
6. प्राधिकरण की ऐसी संपत्ति जो पूर्णतः विकसित अथवा निर्मित हो, की प्रीमियम (अधिमूल्य) की शेष 75 प्रतिशत राशि की वसूली अधिकतम 08 त्रैमासिक किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर से की जावेगी।

7.(अ) जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किश्तों का भुगतान आवंटिती द्वारा न किए जाने की दशा में अथवा व्ययन नियम/व्ययन विनियम के अनुसार विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवंटिती को आवंटन निरस्त किये जाने का नोटिस संपदा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।

(ब) तथापि, यदि आवंटिती प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार समस्त लंबित किश्तें मय ब्याज एवं 10 प्रतिशत दांडिक ब्याज (संबंधित किश्त की देयता तिथि से) का भुगतान कर देता है, तो संपदा अधिकारी आवंटन निरस्त करने का अपना नोटिस वापस ले सकेगा।

परंतु आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त राशि हेतु एक वर्ष की 4 किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी, परंतु उक्त पर नियमानुसार 15 प्रतिशत विलंब ब्याज देय होगा ।

DOWNLOADED FOR idaindore.org

(स) तथापि, यदि उपरोक्त उपनियम (ब) के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम (अधिमूल्य) की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि समपहृत कर ली जाएगी तथा शेष मूलधन की राशि आवंटिती को लौटा दी जाएगी। आवंटिती को इस समपहृत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में जमा ब्याज, कम्पाउण्डींग फीस इत्यादि की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

8. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

9. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढ़े हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन विनियम के अनुसार की जावेगी।

10. यदि किसी विशिष्ट भूमि का आवंटिती उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि(appurtenant land) के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार तथा निर्णय के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि का आवंटन, भूमि का आवंटन तारीख को प्रचलित मार्ग दर्शक दर पर अथवा ऐसी दर पर जिस पर आवंटिती द्वारा पूर्व धारित भूखण्ड आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, कर सकेगा।

11. आवंटिती/भू–स्वामी शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

12. आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि प्राधिकरण संपत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई रकम वापस की जाएगी।

दोः सम्पत्ति को पूर्ण स्वामित्व (Free Hold) पर प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. सम्पत्ति का आधिपत्य ''जैसा है, जहां है के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो)तथा प्राधिकरण भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई/समतलन के लिये उत्तरदायी नही होगा।
2. अधिमूल्य (प्रीमियम) की 50 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी । ग्राही के अनुपस्थिति की दषा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है ऐसा माना जावेगा ।
3. अधिमूल्य (प्रीमियम) की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पूर्ण स्वामित्व विलेख (Free hold)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी (Free hold) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पूर्ण स्वामित्व विलेख का पंजीकरण कराना होगा। पूर्ण स्वामित्वधारी अभिलेख के पंजीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पूर्ण स्वामित्वधारी को विलेख के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पूर्ण स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
5. जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन/वसीयत (natural devolution of heirship/will) के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नही होगा।

DOWNLOADED FOR idaindore.org

तीनः आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के पदाभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं होगा।
2. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planning Permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो),तथा इन्दौर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनधिकृत माना जाएगा, तथा ऐसे कृत्य को हटाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदानुसार प्रारंभ की जाएगी ।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके पदाभिहित उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में, पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।
4. पूर्ण स्वामित्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू–स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
6. प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के आधिपत्य के सौपे जाने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर में यदि आवंटिती निर्माण क्षेत्र के न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण न्यूनतम निर्माण कार्य पूर्ण होने तक रूपये 100/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष की दर से शास्ति अधिरोपित करेगा।

चारः आवंटन का अंतरण

मूल आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर इन्दौर विकास प्राधिकरण के इन नियमों के अधीन किये गये आवंटन का अंतरण ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति उसी श्रेणी का सदस्य होगा, जिसके लिए उक्त सम्पत्ति को आरक्षित किया गया था। उक्त आवंटन से अंतरण का शुल्क जो कि अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि अथवा आवेदन करने की तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन दर, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगा। ऐसे किसी भी अंतरण के संबंध में कोई भी अनुमति इसके आवंटन तारीख से छह माह की समाप्ति से पूर्व प्रदान नहीं की जाएगी ।

पॉच : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि निविदा प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनमा के निबन्धनों तथा शर्तों में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2018" एवं विनियम के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उदभूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबन्ध अभिभावी होगे तथा आवंटिती/भू–स्वामी पर बन्धनकारी होगे।
2. यदि योजना के अन्तर्गत कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, निविदा प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता पर उपरोक्त वर्णित शर्तो के अतिरिक्त बन्धनकारी होंगी।
3. निविदा प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

4. जहां कहीं शब्द "**प्राधिकरण (Authority)**"उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिती (Permitted assignees) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी **(Free Hold)** उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा। कंपनी/फर्म/सोसायटी के प्रकरणों में अनुज्ञापित समनुदेशिती (Permitted assignees) भी शामिल होंगे।

छहः विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग–एक भाग–दो तथा भाग–तीन व भाग–चार निविदा दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को भाग– एक, भाग–दो तथा भाग–तीन के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा "ए पात्रता दस्तावेज"में प्रस्तुत करना होगा, साथ ही भाग–चार के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उसे लिफाफा–बी निविदा लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वैबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी निविदा दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन निविदा प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में हैं। यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से निविदा प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई–मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।

दिनांक .... **निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर**

नाम ————————————

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक जानकारी

लिफाफा–बी में केवल निम्न दस्तावेज रखें (अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें) :

1– निविदा प्रपत्र का भाग चार : निविदा प्रपत्र (पृष्ठ क्रमांक **14** से **16**)

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

भाग चार : निविदा प्रपत्र (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

योजना क्रमांक 97 भाग–4 में आवासीय उपयोग के 15 भूखण्ड हेतु निविदा प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक 185 **दिनांक 23.10.2020**

निविदा प्रपत्र क्रमांक ....

मूल्य रूपये 590/– (जी.एस.टी.सहित)

अहस्तान्तरणीय (Not Transferable)

प्रति,

सम्पदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर (मध्य प्रदेश)

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम ....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

महोदय,

1– आपके **विज्ञापन क्रमांक 185 दिनांक 23.10.2020.** के संदर्भ में, जो **योजना क्रमांक 97 भाग–4 में आवासीय उपयोग** के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्वधारी/भूमिस्वामी अधिकारों (फ्री–होल्ड) के आधार पर भूखण्ड के आवंटन के लिए है। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता हूं/चाहते है। मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा प्रपत्र के सभी निबन्धनों तथा शर्तो को पढ़कर स्पष्टतः समझ लिया गया हैं तथा पूर्णतः विधिवत स्वीकार कर लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं एवं इस निविदा प्रपत्र के निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं /रहे हैं :

निविदादाता का विवरण

1)(अ)	निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम	:	1.. 2..
1)(ब)	पिता/पति का नाम	:	1.. 2..
2)(अ)	यदि निविदा कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें	:	....
2)(ब)	निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/कम्पनी के निदेशक/निदेशकों के नाम (कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के प्रकरण में)	:	....
3)	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	:	.... पिनकोड..................................
	दूरभाष/मोबाईल		.... (कार्यालय)......................निवास)..................
	ई–मेल		....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

2–(अ) हमने यह निविदा प्रारूप विज्ञापन अंतर्गत निर्धारित बैंक द्वारा जारी रसीद क्रमांक................दिनांक .... के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)।

2–(ब) हमारे द्वारा यह निविदा प्रारूप प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किया गया है तथा निविदा प्रारूप के मूल्य स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक .... दिनांक .... **राशि रूपये (अंको मे) 590/– (शब्दों में रूपये पॉच सौ नब्बे**) **(जी.एस.टी.सहित)** लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।

3– मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगीं।

4– मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी), के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक.................................. दिनांक .... **रूपये (अंको मे) .... लाख (शब्दों में रूपये ....)** इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं। (इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है)। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अवसूलीय (Irrevocable) है तथा यदि हमारे द्वारा इसे प्रतिसंहृत किया जाता हैं तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा **प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपये (अंको मे .... लाख) (शब्दों में रूपये ....)** समपहृत कर ली जाएगी।

5– मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में पूर्ण दायित्व लेता हूं/लेते हैं तथा यह सहमति भी प्रदान करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी; जैसी कि आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत् चाही जाने पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूं/करते हैं। यह भी अवगत है कि हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो इन्दौर विकास प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समहृत करने का अधिकार होगा।

6– मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि इन्दौर विकास प्राधिकरण इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी निविदा को रद्द कर सकता है तथा एतद्द्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन (waive) का अधिकार रखता है।

7– मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी पात्रता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप–पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

8– मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड का उपयोग पूर्ण स्वामित्वधारी (free hold) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करुंगा/करेंगे। हमारे द्वारा ऐसे पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त की जाती हैं जिसका निष्पादन भूखण्ड का आवंटन होने पर किया जाएगा ।

उल्लंघन की दशा में आवंटन/पूर्ण स्वामित्व भू–स्वामी विलेख की शर्तो के लिये रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

DOWNLOADED FOR idaindore.org

अनुसारण, शुल्क, दरों तथा करो के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अन्तर्गत संपत्ति को लागू हो ।

9– मैं/हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

सम्पत्ति क्रमांक (अंकों में)	**सम्पत्ति क्रमांक (शब्दों में)**	**निविदा–दर प्रति वर्ग मीटर (अंकों में)**	**निविदा–दर प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में)**

10(अ) मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में, निविदा की कुल राशि का समायोजन तद्नुसार आनुपातिक दर के अनुसार किया जाएगा।

10(ब) यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढे हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन विनियम के अनुसार की जावेगी।

11– मैं/हम निविदा राशि की अवशेष राशि के भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों से सहमत हैं तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक की दशा में उस पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू शास्तियों/अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूं/करते हैं।

12– मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि सम्पत्ति क्रमांक तथा निविदा दरों का रूपये प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

13– मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि निविदा प्रपत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में लिप्तलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

भवदीय,

....

दिनांक : निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान : निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

....

यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली कोई कम्पनी/संस्था/किसी अन्य परिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था हो, उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :